


16.10.2024:—पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित नहीं। प्रार्थी का मूल वाद पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज हो गया है। इसलिए मूल वाद पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी होने के कारण प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। मूल वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. में वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमिल दाखिल दफ्तर हो।



सहायक क्लर्क
एव उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

